सहमति–पत्र

गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि.

इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर (कम्पनी का स्वतंत्र वितरक) और कंपनी के बीच किए जा रहे

"सहमति–पत्र के नियम एवें शर्तो का अध्ययन कर कार्य का सम्पूर्ण विवरण"

1. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात की समझ है कि वह कंपनी का कर्मचारी नहीं है और उसके और कंपनी के बीच कोई नियोक्ता (एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी) का रिश्ता नहीं है। गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर एक स्वतंत्र व्यापारी है जो अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के कार्य करता है।

2. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर को पता है कि कंपनी ई–कॉमर्स प्रोडक्ट सेलिंग कंपनी है जो रेडीमेट गारमेन्ट्स, एसेसरिज और इलैक्ट्रॉनिक्स में डील करती है। कंपनी में कोई प्रवेश–शुल्क, मेम्बरशिप, ज्वॉइनिंग या रिन्यूअल फीस नहीं है। गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय. लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर में केवल प्रोडक्ट्स के पैसे देते हैं और टेक्स–पेड रिसिप्ट प्राप्त करते हैं।

3. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर 18 वर्ष से अधिक उम्र का / की है और उसने अपनी उम्र प्रमाण के डॉक्यूमेंट्स ज्वॉइनिंग के समय जमा करवाए है। यह दस्तावेज असली है और इनके असली होने की जिम्मेदारी डिस्ट्रीब्यूटर और उसके स्पोंसर की है।

4. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्रमाणित करता है कि कंपनी की वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाईन डिस्ट्रिब्यूटर एप्लिकेशन फार्म (ई–फार्म) में भरी गयी जानकारी पूरी तरह से जाँची परखी है। ई–फार्म में भरी गयी जानकारी की जिम्मेदारी ई–फार्म भरने वाले डिस्ट्रिब्यूटर की होगी।

5. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर अपने कार्य को पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ कंपनी के हित में करेगा और कार्य बढ़ाने के लिए किसी गलत गैर–कानूनी काम के तरीके को नहीं अपनाएगा।

6. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर किसी गैर–कानूनी काम में शामिल नहीं होगा जिससे कंपनी की बदनामी या कंपनी को कोई नुकसान न हो और न ही यह कंपनी किसी भी इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा करने नही देगा और न ही समान की कीमतें कम–ज्यादा करने देगा।

7. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी से जबरदस्ती प्रोडक्ट नहीं खरीदवाएगी और उसे बिलकुल स्पष्ट और पारदर्शी तरीके से कंपनी का प्लान समझाएगा।

8. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऐसा कोई क्लेम नहीं करेगा जैसे कि वह कंपनी का कोई अफसर, डायरेक्टर या फ्रेंचाईज–ऑनर हो, न ही गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय. लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर करेगा कि उसके पास कंपनी की एजेंसी है और वह किसी को भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर बना सकता है।

9. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी का प्लान, वर्किंग इत्यादि किसी बाहर के व्यक्ति को या किसी और प्रतिस्पर्धी कंपनी या उसके किसी डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं बताएगा और न ही किसी ऐसी कंपनी में शामिल होगा। गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्टस बेचने के लिए उनकी कीमतों, क्वालिटी, स्टॉक–सिच्युएशन इत्यादि के बारे में कोई झूठ, नकली बाते और गलत या बढ़ा–चढ़ा कर प्रचार नहीं करेगा।

10. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर खुद ऑनलाइन कंट्रोल पैनल और उसमें दी गई जानकारी को गुप्त रखेगा और अपने लॉग इन / पासवर्ड की जानकारी किसी भी तीसरे व्यक्ति को किसी भी कारण से नहीं देगा।

11. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के नाम या कंपनी के किसी ब्रांड के नाम को किसी भी तरह के इश्तेहार या एड के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा जिससे कि ऐसा लगे कि कंपनी किसी तरह की नौकरी देती है रहने के लिए जगह देती है, ऐसा कोई इश्तेहार किसी तरह के पम्पलेट, अखबार, मीडिया, इंटरनेट, टी.वी., रेडियो इत्यादि में नहीं दिया जा सकता। कंपनी का लोगो (Logo) नाम, इत्यादि बिना कंपनी की रिटन पर्मिशन के इस्तेमाल करना संभव नहीं है, ऐसा करने वाले की डिस्ट्रीब्यूटरशिप तुरंत टर्मिनेट कर दी जाएगी।

12. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल स्टोर के फायदे के लिए बिजनेस सप्लीमेंट ट्रांसफर नहीं करेगा और न ही किसी रिटेल स्टोर पर रिटेल–प्राइस से कम पर प्रोडक्टस बेचेगा।

13. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर को री–लेबल या री–पैक नहीं कर सकता और न ही कपंनी के प्रोडक्टस से मिलते–जुलते कोई और प्रोडक्टस बेच सकता है। गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कंपनी या उसके सप्लायर्ज के कॉपी राइट्स का उल्लंघन हो।

14. ज्वॉइनिंग एप्लिकेशन अप्रूवल के बाद गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर को एक साल के लिए डिस्ट्रिब्यूटरशिप दी जाएगी जिसे हर साल कंपनी को एप्लिकेशन देकर रिन्यू किया जा सकता है। अगर कोई गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर एक साल बाद रिन्यूअल नही करवाता है तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी और यह सहमति–पत्र भी। ऐसे में कोई अलग टर्मिनेशन–नोटिस देने की जरूरत नहीं।

15. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर्स, स्टॉफ या डिस्ट्रीब्यूटरर्स की बदनामी नहीं करेगा और न ही होने देगा नही ही कपनी के काम में कोई दखलांदाजी और ऐसे किसी डॉक्युमेन्ट पर सिगनेचर नहीं करेगा जिससे कंपनी के काम में दखल हो।

16. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटरनए डिसट्रीब्यूटर्स पर दबाव बनने के लिए ऐसा कोई दावा नहीं करेगा कि वो कंपनी के एडमिन्स्टिेटरर्स, डायेरक्टर्स, स्टाफ या डिस्ट्रीब्यूटरर्स, स्टाफ इत्यादि का दोस्त, संबंधी या जानकार है।

17. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी या अन्य डिस्ट्रीब्यूटर्स को बदनाम करने के लिए या कपनी के काम में दखल देने के लिए या कपंनी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने के लिए यूनियन नही बनाएंगे।

18. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी में बिजनेस ज्वॉइन करने के लिए उम्र, पता, पेन कार्ड इत्यादि के प्रोपर सरकारी प्रूफ की कॉपी जमा करवाएंगे, फर्जी प्रूफ जमा करवाने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर एक से अधिक एनरोलमेंट नहीं करवा सकते।

19. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को उसकी मर्जी से कार्य करने से नहीं रोक सकता और न ही किसी को कंपनी छोड़ने से रोक सकता और ना ही कंपनी छोड़ने के लिए उकसा सकता है।

20. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर की डिस्ट्रीब्यूटरशिप टर्मिनेट होन पर उसे उसके बोनस / रिबेट अगले महीने में दिए जाएंगे, उसके बाद से टर्मिनेटेड डिस्ट्रीब्यूटर को किसी भी लेवल का कोई प्रीमियम, बोनस, रॉयल्टी, रिबेट, कमीशन इत्यादि नहीं मिलेगा। यदि किसी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर की टर्मिनेशन से अन्य डिस्ट्रीब्यूटरों के कमीशन, लेवल, रॉयल्टी, रिबेट, बोनस इत्यादि पर फर्क पड़ता है तो ऐसे में उनको दिया जा चुका फालतू पैसा कंपनी के प्लान के मुताबिक रि–कवर किया जाएगा।

21. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर अपने या अन्य डिस्ट्रीब्यूटर के साइन एप्लिकेशन फार्म या किसी और डॉक्यूमेंट पर धोखे, चीटिंग, फ्रॉड (छल–कपट, जालसाजी) इत्यादि से नहीं करेंगे / करवाएंगे। सभी नए डिस्ट्रीब्यूटरर्स को –
   i. प्रोडक्टस की क्वालिटी, टाइप, कीमत उपयोगिता और इस्तेमाल
   ii. डिस्ट्रीब्यूटर मैकेनिज्म (वितरक तंत्र)
   iii. प्रोडक्टस की बिक्री से प्रॉफिट, कमीशन, बोनस और बिजनेस वॉल्यूम
   iv. प्रोडक्टस रिटर्न और बाय–बेक पॉलिसी
   v. डिस्टब्यूटरशिप छोड़ने का तरीका और उसके परिणाम
   vi. डिस्ट्रीब्यूटरशिप ट्रांसफर और नॉमिनेशन के नियम व तरीकों के बारे में बताया जाएगा।

22. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर अपने खुद के पैसों से ही कंपनी से प्रोडक्टस खरीदेगा, न कि किसी व्यक्ति या बैंक से उधार या लोन लेकर, न ही वह किसी नए या पुराने डिस्ट्रीब्यूटरस को किसी व्यक्ति, बैंक इत्यादि से लोन लेने के लिए उकसाएगा या कम ब्याज पर लोन दिलवाने का वादा करेगा। गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर यह सुनिश्चित करेंगे कि नए डिस्ट्रीब्यूटरों ने प्रोडक्टस खरीदने से पहले अपने घर वालों (माता–पिता, अभिभावक) की मंजूरी ली है।

23. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर नए डिस्ट्रीब्यूटरों को मिस–गाइड नहीं करेंगे जैसे कि थोक में सामान खरीदवाना जो कि वह बेच ही ना पाए या थोड़ा सामान खरीदवाना और फिर बढ़ाना इत्यादि। गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर कोई निश्चित खरीददारी करने के लिए बाध्य नहीं है।

24. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर कम्पनी के बारे में झूठी बातें बता कर किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर को मिस–लीड नहीं करेगा, न ही जल्दी और आसान पैसे बनने के बारे में झूठे वादे करेगा और न ही नए डिस्ट्रीब्यूटर ज्वॉईन करवाने के लिए कोई गलत तरीका अपनाएगा।

25. इंडिपेंडेट डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात की पूरी समझ है कि कंपनी द्वारा उसकी इंकम डिस्काउंट / रिबेट / कमीशन / रॉयल्टी / बोनस इत्यादि के रूप में होगी, जो कि उसकी पक्की / रेग्यूलर / नियमित या मासिक इंकम नही होगी– न ही कंपनी, मैनेजमेंट, स्टाफ या डिस्ट्रीब्यूटरर्स द्वारा ऐसा कोई वादा किया गया है और न ही उनको प्रॉडेक्टस खरीदने के लिए ऐसा प्रेरित किया गया है जिससे कि नियमित इंकम हो ।

26. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी की बाय–बैक पॉलिसी (सात दिन तक) की पूरी समझ है और वह उसका पालन करने के लिए बाध्य है। गारमेंट्स प्रॉडेक्टस परफेक्ट बिकने लायक कंडीशन में ओरिजिनल पैकिंग और टैग्स के साथ सील्ड हों तो बिक्री के सात दिन के भीतर लौटाए जा सकते हैं और गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर को इस बात की भी समझ है कि खरीदे हुए प्रॉडेक्टस लौटा देने पर यह सहमति–पत्र और डिस्ट्रीब्यूटरशिप, यहां दी गई शर्तो और नियमों के तहत खुद ही टर्मिनेट हो जाएगें। ऐसे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी के साथ आने वाले समय में डायरेक्ट या इन–डायरेक्ट तरीके से या किसी दोस्त या रिश्तेदार द्वारा किसी भी तरह का कार्य करने का कोई हक नहीं होगा। इलेक्ट्रिक आइटम डिलिवरी के बाद वापिस नहीं होगा और इलेक्ट्रिक आइटम की डिलिवरी के समय चैक करवाने के बाद आइटम/प्रोडक्ट की स्क्रीन एवं टूट–फूट की जवाबदारी कंपनी की नहीं होगी, और ना ही आइटम/प्रोडक्ट वापिस होगा।

27. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप की वजह से हुई इंकम पर लगने वाले सभी टैक्स, इंकम टैक्स, सरकारी फीस इत्यादि के लिए जिम्मेदार है।

28. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर को किसी ट्रेनिंग या ऐसे प्रोग्राम के लिए या ज्वॉइनिंग या मेम्बरशिप के लिए कोई फीस लेना या देना अलॉउड नहीं है। कोई इंडिपेन्डेंट डिस्ट्रीब्यूटर से भी ट्रेनिंग या नेटवर्क प्रोमोशन के लिए या ऐसे किसी और काम के लिए पैसे न देगा, न लेगा।

29. गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. इंडिपेंडेन्ट डिस्ट्रीब्यूटर इन नियमों और शर्तो को पढ़ कर यह सुनिश्चित करेंगे कि नए डिस्ट्रिब्यूटरर्स ने भी इनको बिल्कुल साफ तौर पर और अपनी मातृ–भाषा में भी समझ लिया है।

30. कम्पनी ने मुझे यह भी स्पष्ट रूप से बताया है कि कम्पनी के डिस्ट्रीबयूटरशीप लेने के लिए और बीस रैंक प्राप्त करने के लिए मुझे कम्पनी को जी.एस.टी. सहित रुपये 9, 408/- (रु. नौ हजार चार सौ आठ) देने होंगे। इसी प्रकार अन्य रैंक का भुगतान किया जावेगा और कम्पनी के प्रॉडक्ट मुझे दिये जायेंगे। इसके पश्चात् मुझे कोई भी राशि कम्पनी को नहीं देना होगी। कम्पनी द्वारा दिये गए प्रॉडेक्ट मुझे अपने द्वारा सेल करने होंगे जिसका मुझे कमीशन दिया जायेगा। कम्पनी द्वारा मुझे कोई स्थाई वेतन नहीं दिया जायेगा, यह बात मुझे पूर्णतः स्वीकार है।

31. मैं भविष्य में कभी भी कम्पनी के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई क्लेम या थाने में शिकायत या न्यायालयीन कार्यवाही या दी गई राशि को वापिस करने की मांग (सात दिवस के पश्चात्) नहीं करूँगा। यदि मेरे द्वारा इस संबंध में कोई भी शिकायत कहीं भी की गई तो वह शून्य होकर अमान्य मानी जावेगी। इस बात की मैं लिखित सहमति एक सप्ताह पश्चात् देता / देती हूँ।

32. मुझे विस्तृत रूप से जानकारी है कि कम्पनी द्वारा दिये गये प्रॉडक्ट / गारमेन्ट को विक्रय करने का काम करना है और कम्पनी के प्रॉडेक्ट ना बिकने पर सात दिनों के भीतर प्रॉडक्ट वापिस करूँगा तो जी.एस.टी. काटकर मुझे सम्पूर्ण पैसा कम्पनी वापिस करेगी और अगर सात दिनों के बाद मैंने यह प्रॉडेक्ट वापिस किये जो मुझे मेरे द्वारा दिया गया रैन्क प्राप्त करने का पैसा कम्पनी द्वारा वापिस नहीं दिया जायेगा। सात दिनों में यदि मैंने कम्पनी का यह प्रॉडेक्ट उपयोग कर लिया तो भी मेरी राशि वापिस नहीं होगी, मैंने यह बात अच्छी तरह समझ ली है जो कि मुझे पूर्णतः मान्य व स्वीकार है।

33. कम्पनी द्वारा मुझे कम्पनी के प्रॉडेक्ट को बेचने से संबंधित पाँच दिन की ट्रेनिंग कम्पनी द्वारा दी गई है, जिसका कोई भी भुगतान मुझसे कम्पनी ने नहीं लिया है।

34. मैंने गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. कम्पनी की सम्पूर्ण शर्ते व भौतिक जानकारी प्रशिक्षण (Training) के दौरान समझ ली है। भविष्य में कम्पनी से किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होने पर सर्वप्रथम कम्पनी के स्मक्ष लिखित आवेदन देकर अपनी समस्या का हल करवाया जाएगा। उस समस्या से संबंधित लिखित जवाब / आदेश के पश्चात् ही मेरी ओर से किसी भी थाने में कानूनी कार्यवाही करने की पात्रता होगी। यदि मेरे द्वारा कम्पनी के एम.डी. के समक्ष अपनी समस्याओं का लिखित आवेदन नहीं दिया गया हो और उसका निराकरण नहीं करवाया गया होगा तो मेरे द्वारा पुलिस या न्यायालय में की गई कोई भी शिकायत शून्य व अमान्य होगी और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही योग्य नहीं होगी।

35. मेरी निजी सम्पत्ति रहने व मेरे शारीरिक व अन्य व्यक्तिगत मामलों से कम्पनी का कोई लेना देना नहीं होगा। यह मेरा निजी मेटर होकर सम्पूर्ण जवाबदारी का दायित्व मेरा स्वयं का होगा। कार्य छोड़ने के पश्चात् किसी भी प्रकार का आरोप भविष्य में कभी भी कही भी नहीं लगाऊंगा।

36. मैं गेरीज़ोन फेशन इंडिया प्राय.लिमि. कम्पनी का डिस्ट्रीब्यूटर अपनी मर्जी से बनने जा रहा हूँ जिसका डिस्ट्रीब्यूटर आई.डी. मुझे कम्पनी द्वारा निःशुल्क दी जा रही है और मुझे यह भी कम्पनी द्वारा स्पष्ट तौर से बता दिया गया है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए मुझे कम्पनी से 20 रैंक अथवा 30 रैंक लेने के लिए कम्पनी से प्रोडक्ट लेना होगा। मैं जो कम्पनी के प्रोडक्ट लूंगा उसका जो भी पैसा होगा वह कम्पनी के खाता क्र.-**923020002442635** तथा बैंक का IFSC Code UTIB0003114 में ट्रांसफर करना अनिवार्य होगा और किसी व्यक्ति के खाते में प्रोडेक्ट की राशि दी, तो उसकी जिम्मेदारी कम्पनी की नहीं होगी।

37. मैंने सम्पूर्ण शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ कर परिवार, पालको व परिजनों से चर्चा के उपरान्त ही कम्पनी अपनी स्वयं की इच्छा से ज्वाईड करी है। कम्पनी के एम.डी. द्वारा स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि यह कम्पनी मात्र ऑनलाईन मार्केटिंग व्यवसाय की ट्रेनिंग विद्यार्थी के रूप में देती है। नौकरी लगाने के नाम से पैसे कम्पनी द्वारा लिए जाने की कोई भी बात भविष्य में कभी भी, कही भी किसी भी स्थान पर मेरे द्वारा नहीं उठाई जायेगी। मेरे द्वारा जो कि राशि कम्पनी में जमा की जाती है तो यह राशि मात्र ऑनलाईन व्यवसाय ट्रेनिंग के लिए (प्रधानमंत्री की घोषणा "मेक-इन-इण्डिया" के आधार पर MOU के तहत दी गई राशि है, जिसकी मेरे द्वारा ट्रेनिंग ली गई है। यह राशि किसी भी प्रकार की नौकरी दिलाने के ना पर मेरे द्वारा नहीं दी गई है, जो राशि मेरे

द्वारा कम्पनी में दी गई है वह राशि कम्पनी के प्रॉडक्ट क्रय करने के लिए तथा प्रॉडक्ट प्राप्त करने के पश्चात् ऑनलाईन प्रॉडक्ट तय किये गये है, उसी की राशि मेरे द्वारा दी गई है जो कि नौकरी लगाने के नाम पर बिल्कुल नहीं है। "इसकी जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है, कम्पनी की नहीं है।"

38. मैंने कम्पनी के सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकन कर कम्पनी के कार्य संबंधित सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है और मुझे कम्पनी की सम्पूर्ण कार्यशैली व लेन-देन की भी सम्पूर्ण जानकारी दे दी गई है जिससे अब कोई शक व शिकायत की गुंजाईश नहीं है। मैंने अपने परिवार व मित्रों से भी इस कार्य के संबंध में चर्चा कर ली है। मुझे कम्पनी के दस्तावेज व राशि वापिस करने के संबंध में सम्पूर्ण बातें स्वीकार है, जिसका मैं लिखित वचन देता / देती हूँ कि मैं कभी भी कम्पनी के विरूद्ध सहमति-पत्र में वर्णित सम्पूर्ण उपरोक्त 38 शर्तो का पूर्ण अध्ययन कर लिया है और समझ लिया है। मैं कंपनी के नियमों व शर्तो के विपरीत कोई भी कार्यवाही कभी भी, कही भी, किसी भी दशा में नहीं करूँगा / करूँगी। यदि की गई तो वह भविष्य में शून्य होकर अस्वीकार होगी इस बात की मेरी ओर से इस सहमति-पत्र में हस्ताक्षर कर लिखित सहमति दी जाती है।